

पर्यावरण के नाम पर

आशीष कोठारी

पर्यावरणवाद के बंदनमा फल ने अपना सिर उठाना फिर शुरू किया है। पिछले दो वर्षों और खासतौर से १९९६ के दौरान पर्यावरण के मामले में ऐसी-वैसी कार्रवाईयां हुई हैं जिन्हें पहली निगाह में तो सराहने की इच्छा होती है लेकिन उनके निहितार्थ कई मायनों में गंभीर विचार पैदा करते हैं। यदि पर्यावरण आंदोलन ने इन बातों को जल्द समझ कर तत्काल उनसे निपटने का प्रयास नहीं किया तो वह अपनी वह गति और विश्वसनीयता खो बैठेगा जो उसने बीते बरसों में अर्जित की है।

औद्योगिक देशों के विपरीत भारत जैसे देशों में प्राकृतिक पर्यावरण न केवल उसके सौंदर्य बोधोय और मनोरंजन, ताजा हवा, जलवायु-नियमन जैसे परंपरागत लाभों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह करोड़ों देशवासियों के जीवन का तो आधार ही है। ये वे लोग हैं जो यहां की भूमि, वनों, जल-स्रोतों, वन्य जीवन और अन्य प्राकृतिक सौतों के लिए अपनी रोज की आजीविका कमाते हैं। जहां प्रकृति का खुद उसी की खातिर संरक्षण करना हथौड़ी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी है, वहीं उसके संरक्षण के प्रयासों के चलते हमें गरीबों की आजीविका कमाते हैं। जहां प्रकृति का खुद उसी की खातिर संरक्षण करना हमारी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी है, वहीं उसके संरक्षण के प्रयासों के चलते हमें गरीबों की आजीविका और अस्तित्व संबंधी जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा। माना कि शहरी श्रेणी वर्ग की सौंदर्यबोध और मनोरंजन संबंधी जरूरतें भी वाजिब हैं, फिर भी उन्हें गरीबों के अधिकारों की कीमत पर पूरा नहीं किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हाल ही उठाए गए बहुत से कदमों से ठीक यही हुआ है।

मिसाल के लिए, कुछ उत्साही वकीलों, खासतौर से एमसी वनों की प्रेरणा का उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता प्रदर्शित करते हुए जो कुछ फैसले दिए हैं उनका प्रभाव बहुत व्यापक और दूरगामी होगा। दिल्ली के कोई १५०० प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने और दिल्ली रिज आरक्षित बन से सारे अतिक्रमणों को उखाड़ फेंकने के आदेश इसके ही उदाहरण हैं। पर्यावरण संगठन कल्पवृक्ष, जिसने कि आज से सत्रह वर्ष पूर्व दिल्ली रिज को अतिक्रमण से बचाने का बीड़ा उठाया था, के एक सदस्य ही हिसियत से मे न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने इन फैसलों की तारीख करता है लेकिन ऐसा करते हुए मुझे यह सोच कर थोड़ा संकोच भी होता है कि क्या हमने यह भी सोचा है कि महानगर की आबादी के उन वर्गों पर इन फैसलों का असर क्या होगा जो इन आदेशों के कारण पीड़ित हुए हैं?

प्रदूषणकारी उद्योगों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोई १५,००० मजदूर काम करते हैं। अनधिकृत जानकारी के अनुसार उनकी संख्या इसमें दुगुनी है। अदालत के आदेश में तो कहा गया है कि इन कामगारों को उक्त कारखानों द्वारा उनकी नई जगहों पर फिर से काम पर रखा जाएगा लेकिन बहुत सी कंपनियां तो अपना कारोबार बंद ही कर रही हैं। कामगारों को जो नकद मुआवजा मिलेगा वह रोजगार का स्थानापन्न तो हो नहीं सकता। कामगारों के भविष्य के प्रति दिखलाई गई इस निष्पूरता को लेकर मजदूर सघों की नाराजगी जहां वाजिब है वहीं मेरे जैसे पर्यावरणवादी इससे विचलित नजर आ रहे हैं।

दिल्ली रिज क्षेत्र से हड़कार आने वाले

ग्रामीणों और झोपड़पट्टी वालों की संख्या भी हजारों में है। यह सब होगा यह तो पता ही था लेकिन इस तस्वीर की सबसे बड़ी विरूपता यह है कि इस वन क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली निजी और सरकारी, एजेंसियों, जिनमें स्थास्त्र रोनाए भी हैं, को इन कार्रवाईयों में घुभा भी नहीं गया है जबकि गरीब अतिक्रमणों को बेदखल किया जा रहा है। रिज को अतिक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जैसे जिन एजेंसियों को सौंपी है वे भी इस मामले में थोड़ा कानूनी व थोड़ा श्रेणीवर्गीय रवैया अपना रही हैं। चूंकि तम बस्तियों वालों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उन्हें तो तुरंत पुरत बेदखल किया ही जा रहा है, उन भावों, जिन्हें पूर्व में पंचायत का हिस्सा घोषित कर राशन कार्ड जारी किए गए थे, तक को अघानक यह कहते हुए अतिक्रमण कह दिया गया है कि सरकारी कामजात में उनके कोई भूमि अधिकार दर्ज नहीं है। और श्रेणीवर्ग के वर्गों की तो कोई सीमा है ही नहीं। रिज फारेस्ट से लगे असरदार लोगों के आलीशान फार्म हाउसों को रिजव फारेस्ट से बाहर दर्शा कर बने रहने की इजाजत दे दी गयी है।

दिल्ली का यह उदाहरण कोई अकेला नहीं है बल्कि वह उस बीमारी का स्पष्ट लक्षण है जिसकी जड़ें शहरी और श्रेणीवर्गीय पर्यावरणवाद में गहरी पैठी हुई हैं। सदियों पहले भात के राजा महाराजाओं ने अकेले अपने उपयोग के लिए शिकारगाह तय कर लिए थे। बीसवीं सदी में वन्य जीवन संरक्षण सरोकारों के कारण संरक्षित क्षेत्रों का जाल बिछा दिया गया है। भारत में कोई ५२५ राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की मदद से देश के बड़े-छुछे प्राकृतिक रहवासी और वन्य जीवन को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हीं इलाकों में कई ऐसे परंपरागत आदिवासी और ग्रामीण समुदाय भी बसते हैं जो अब लुप्तमान हैं और उनको बचाना भी उतना ही जरूरी है। बदकिस्मतों से शहरों से संरक्षण के मामले में सख्ती बरतने की जो मांग उठती है उसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों को जबरन बेदखल किया गया है और गरीबों की उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन, दाना-फाण और आजीविका के साधनों तक पहुंच में कठारथ्योत हुई है। इन सख्तियों का निश्चाना राजाजी राष्ट्रीय उद्योग में खानाबदोश गुज्जरो और रस्सी बटने वालों को बनाया गया तो गिर वनों में प्रमुखालक मालधारियों को निकाल बाहर कर दिया गया है। केवलादेवी (भरतपुर) राष्ट्रीय उद्यान में चरवाहों को अब उनकी भैंसों भीतर लाने की इजाजत नहीं दी जाती। पंच राष्ट्रीय उद्योग में एक याचिका के अधीन तोतलादेह सरोवर में मछली पकड़ने पर स्थगन प्राप्त कर लिया गया है जबकि संरक्षणवादियों ने यह दलील तो ठीक ही दी थी कि गैरकानूनी मत्स्य आखेट से लाभान्वित वास्तव में व्यापारी वर्म हो रहा था। लेकिन वह इस तथ्य को शायद नजरअंदाज कर गए कि इस स्थगन से हजारों मछुआरे परिवार बेरोजगार हो गए। इस पंच याचिका के फैसले में भी दिल्ली के प्रदूषणकारी उद्योगों और रिज फारेस्ट की तरह ही इस प्रकार की पर्यावरण कार्रवाईयों से पीड़ित लोगों को कोई राहत नहीं दितवाई जा सकी है।

सवाल इन कार्रवाईयों की नीबत लाने वाले पर्यावरणवादियों की नीयत पर शक करने का नहीं है, क्योंकि वे यह सब लाचार होकर तात्कालिक नतीजे हासिल करने के उद्देश्य

से ही कर रहे हैं, लेकिन इन कार्रवाईयों में कुछ बहुत बड़ी बड़ी खामिया भी हैं। मसलन, पर्यावरण को बचाने के लिए नीकरशाही की कार्रवाईयों पर उन्हें पूरा भरोसा है, जबकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इसके लिए सरकार के पास न तो पर्याप्त इच्छाशक्ति है, न संसाधन। वे प्राकृतिक रहवासों को बियाबान इलाकों की तरह देखते हैं जबकि वे ज्यादातर ऐसे इलाकें हैं जिनके सहारे लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि इन संरक्षित इलाकों में संसाधनों का हर प्रकार का उपयोग जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाला ही होगा जबकि उसी जगह पर्यटन को बढ़ावा देते वक्त उन्हें कोई संकोच नहीं होता और उसे इको पर्यटन कर कर वे अपनी अंतराला को सतृप्त कर लेते हैं। सबसे बड़ा धक्का तो खुद इन्हीं पर इसी वजह से लगता है कि वे इस प्रकार के पर्यटन में हिस्सेदार बन कर ऐसे संसाधनों पर ऐसी माने घोषित हैं जो देश की कतिबब सबसे ज्यादा विनाशकारी परियोजनाओं का कारण बनती हैं। दिल्ली में हम रिज को इसलिए बचाना चाहते हैं कि वह नगर के फेफड़े की तरह कार्य करते हुए उस विषाक्त धूर और प्रदूषण से वातावरण को मुक्त करे जो हम रोजाना अपनी कारों से उत्सर्जित कर रहे हैं। लेकिन इसकी तकलीफ उन मछियों को झेलनी पड़ रही है जिनके पास न तो कोई कार अब है, न भविष्य में कभी होगी। हम लोग खुद तो आसमंदेह कंडीट के मकानों में रहना चाहते हैं, लेकिन हमसे उन्हीं गरीबों की घास फूस

के टप्पर भी बर्दास्त नहीं होते, जिन्होंने हमारी अट्टालिकाएं बनाई हैं। क्योंकि वे उन इलाकों में हैं जिन्हें उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए हरित कमरबंद घोषित करवा लिया है। हमें ऐसे आख को खटकने वाले उद्योगों नहीं चाहिए जिनके द्वारा उत्पादित माल का मजे से उपयोग करते हैं, लेकिन हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं होता कि अन्यत्र किसी ग्रामीण इलाकें में स्थानांतरित हो यही कारखाने वाह के हवा पानी को प्रदूषित कर कृषि भूमि से लोगों को जबरन बेदखल कर देंगे।

ये विशिष्ट वर्गीय पर्यावरणवादी इस कदम से सच का या सामना ही नहीं करना चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं कि विकास के जिस नमूने से वे लाभान्वित होना चाहते हैं वही न केवल दोषपूर्ण है बल्कि कई प्रकार के टकरावों का भी कारण बन रहा है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में जो समस्याएं खड़ी हुई हैं वे गुज्जरो और रस्सी बटने वालों के कारण उतनी नहीं गंभीर हुई हैं जितनी कि देहरादून, हरिद्वार व आदिवासी के अघाघ घ सहराकरण, पिल्ला पनबिजली नहर और विविध औद्योगिक संयंत्रों के कारण हुई हैं।

इन सभी परियोजनाओं ने न केवल वन्य लिए भी समस्याएं खड़ी की हैं। जीवों बल्कि आसपास की ग्रामीण आबादी के (साभार-जनसत्ता)

